न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 65/2018(RCMS 2018/00100)

प्रार्थीगण

1. सीताराम पुत्र परताराम जाति बावरी उम्र 69 वर्ष निवासी चितावा तह. कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अनाराम पुत्र परताराम
2. सूजाराम पुत्र बोदूराम
3. छोटूराम पुत्र बोदूराम
4. अमरचन्द पुत्र बोदूराम
5. मदनलाल पुत्र बोदूराम
6. चौथूराम पुत्र परताराम
7. शान्ति पुत्री बोदूराम जाति बावरी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
8. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 11.3.2020

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 466 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 1441/467 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.04 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की सहखातेदारी की भूमि स्थित चली आ रही है, चितावा के खसरा नम्बर 1439/467 रकबा 0.52 हैक्टर मुझ प्रार्थी की काबिज खातेदारी व खसरा नम्बर 1440/467 रकबा 0.52 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 अनाराम की व खसरा नम्बर 1438/467 रकबा 0.52 हैक्टर अप्रार्थी सं. 6 चौथूराम की व खसरा नम्बर 467 रकबा 0.36 हैक्टर अप्रार्थी सं. 2 ता 5 व 7 की काबिज खातेदारी की दर्ज चली आ रही है खसरा नम्बर 466 गै.मु.कुआ तक आने–जाने का शामलाती रास्ता खसरा नम्बर 1441/407 रकबा 0.03 हैक्टर छोड़ा गया जो कि मौके पर चालू है, परन्तु वह जहॉ पर दर्ज है वहां चालू नही होकर खसरा नम्बर 467 के पूर्वी सीमा पर चालू है जो कि काबिल दुरूस्त है उक्त भूमि जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण [illegible] से शामलाती पैतृक हक–अधिकारों की भूमि दर्ज रही है जो कि वा[illegible] किया गया तब बीचों–बीच में खसरा नम्बर 466 गै.मु.कुआ तक रास्ता छोड़ा [illegible] सबकी सहमति से छोड़ा गया था जो कि वर्तमान में जहॉ चल रहा है वहॉ तरमी[illegible] किया जाना उचित है व खसरा नम्बर 1439/467 रकबा 0.52 हैक्टर जो कि प्रार्थी की कब्जा अधिकारों की भूमि है व खसरा नम्बर 1438/467 रकबा 0.52 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 6 की काबिज खातेदारी की भूमि दर्ज चली आ रही है जिसके मध्य में रास्ता मौके पर दोनो सीमाओ के बीचों–बीच रास्ता चला आ रहा है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कि प्रार्थी के रहवासी ढ़ाणी तक जाता है उपरोक्त भूमि के खसरा नम्ब्र 1441/467 को दुरूस्त कर व खसरा नम्बर 1438/467 व खसरा नम्बर 1439/467 के मध्य प्रार्थी की ढ़ाणी व रहवासी मकानात तक रास्ते को दुरूस्त कर रास्ता कायम किया जाने की आवश्यकता है जिसका प्रार्थी हकदार है, प्रार्थी उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि जो कि पहले पैतृक अधिकारों की रही है जिसकी दुरूस्ती कराना व रास्ता कायम कराने के अधिकारी है इसलिए यह प्रार्थना–पत्र दुरूस्ती व रास्ता तरमीम हेतु लाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थना–पत्र में इस्तदुआ की है कि ग्राम चितावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1439/467 रकबा 0.52 हैक्टर प्रार्थी के रहवासी ढ़ाणी तक खसरा नम्बर 1439/467 व खसरा नम्बर 1438/467 के मध्य सीमा पर 20 फीट चौड़ाई का खसरा नम्बर 466 तक खसरा नम्बर 1441/467 रकबा 0.03 हैक्टर को रास्ता दर्ज कर मौके पर चालू अनुसार दुरूस्त कर तरमीम कर नक्शा ट्रेस में रास्ता तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5, 7 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थी सं. 8 उपस्थित आये तथा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस की नकल एवं चालू जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत की, अप्रार्थी सं. 6 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुताबिक जमाबन्दी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम हक हिस्से अनुसार भूमि दर्ज चली आ रही है,तथा आपसी सहमति से बंटवारा होकर अलग–अलग दर्ज होकर राजस्व नक्शें में तरमीम होकर दर्ज चली आ रही है,खसरा नम्बर 466 गै.मु.कुआ तक जाने वाला रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1441/467 रकबा 0.03 हैक्टर है वह रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 1439/467 तक जाता है यह रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 467 के पूर्वी दिशा से कुआ खसरा नम्बर 466 तक जाता है मौके अनुसार ही नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1441/467 दर्ज है प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्य लिखकर न्यायालय हाजा व अप्रार्थीगण को गुमराह किया जा रहा है जिसे दुरूस्त करने की कोई आवश्यकता नही है, क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से बंटवारा किया गया है तथा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही खसरा नम्बर 467 का बंटवारा किया जाकर रास्ता कायम किया है जो नक्शा ट्रेस में अंकित है, प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी में आने जाने के लिए गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 1441/467 है जो प्रार्थी के दक्षिणी पूर्वी कोने तक है जिसे प्रार्थी आता जाता है प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1439/467 में जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता मॉजूद हे प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अल्टरनेटिव वे मौजूद है वह अप्रार्थी सं. 6 की भूमि में जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता है जहॉ अप्रार्थी सं. 6 के मकान आदि बने हुए है [illegible] प्रार्थी को जाने लिए अल्टरनेटिव वे मौजूद हो नया रास्ता 251 ए [illegible] कानूनी अधिकार राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए में [illegible] करने का प्रार्थी हकदार नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है, खसरा नम्बर 1441/467 गै.मु.रास्ते को दुरूस्त करने की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1439/467 में ही प्रार्थी की ढ़ाणी व रहवासी मकान बने है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1439/467 है जो रेकर्ड में तरमीम है इसलिए नया रास्ता कायम कराने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अधिकारी नही है, प्रार्थना–पत्र मनगढ़त तथ्यों पर व अदालत को गुमराह कर गलत अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने के लिए झूंठा पेश किया गया है जिसे भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट दिनॉक 4.2.2019 अनुसार खसरा नम्बर 1441/467 रकबा 0.03 हैक्टर बारानी दर्ज है मौके पर A To B रास्ता है जो सभी खातेदारी के खेतो मे लगता है बिन्दू B To C का सीमा पर विवाद है। पूर्व में खसरा नम्बर 467 पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रहती आई थी तथा राजीनामा अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा करवाया गया है, उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से यह तथ्य साबित है कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1439/467 रकबा 0.52 हैक्टर खातेदारी की दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर आवागमन का रास्ता चालू है जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही है तथा प्रकरण 251 ए की श्रेणी में नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 11.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.12 14:49:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: